भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2382

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाना है)

विदेशी ऋण

2382 श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में देश पर कितना विदेशी ऋण बकाया था और उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में विदेशी ऋण की मात्रा के प्रतिशत में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ग) देश के विदेशी ऋण का मद-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान ऋण में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण का हिस्सा कितना है;

(ङ) वर्तमान वर्ष सहित विगत पांच वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का अनुपात कितना है; और

(च) ऋण के रूप में ली गई राशि से किए गए पूंजीगत व्यय में कैपेक्स (सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय) और जीआईए कैपेक्स (राज्य सरकारों और अन्य अनुदान प्राप्तकर्ता निकायों को परिसंपत्ति निर्माण के लिए प्रदान किए जाने वाला सहायता अनुदान) का कितना-कितना प्रतिशत हिस्सा है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): किसी भी देश का विदेशी ऋण बढ़ते निवेश और उत्पादकता पर आधारित होता है। मार्च 2025 के अंत में भारत का बकाया विदेशी ऋण 736.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें मार्च 2024 के स्तर से 10.1% की वृद्धि हुई। भारत ने चालू खाता घाटे को संवहनीय सीमाओं के तहत रखने के व्यापक उद्देश्य के साथ अपने विदेशी ऋण को विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधित किया है। मार्च 2025 के अंत तक, कुल विदेशी ऋण के सापेक्ष विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात 90.8 और जीडीपी के सापेक्ष विदेशी ऋण का अनुपात 19.1% था। ये ऋण जोखिम (वल्नरेबिलिटी) संकेतक अनुकूल हैं और दर्शाते हैं कि भारत का विदेशी ऋण सतत है और विवेकपूर्ण रूप से प्रबंधित किया जाता है।

(ग): मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी ऋण के लिखत-वार प्रोफाइल का विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

मार्च 2025 के अंत तक लिखतों द्वारा बकाया विदेशी ऋण	
लिखत	**राशि (बिलियन अमेरिकी डॉलर)**
1. विशेष आहरण अधिकार (आवंटन)	22.0
2. मुद्रा और जमा राशि	167.6
3. ऋण प्रतिभूतियाँ	130.1

4. ऋण	250.6
5. व्यापार ऋण और अग्रिम	131.2
6. अन्य ऋण देयताएँ	0.0
7. प्रत्यक्ष निवेश: अंतर-कंपनी ऋण	34.9
कुल विदेशी ऋण	**736.3**

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक; वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

(घ): मार्च 2025 के अंत तक कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक और अल्पकालिक विदेशी ऋण का भाग नीचे प्रस्तुत किया गया है:

मार्च 2025 के अंत तक दीर्घकालिक और अल्पकालिक विदेशी ऋण		
मद	**बिलियन अमेरिकी डॉलर**	**कुल विदेशी ऋण के प्रतिशत के रूप में**
दीर्घकालिक ऋण (मूल परिपक्वता) @	601.9	81.7
अल्पकालिक ऋण (मूल परिपक्वता) #	134.5	18.3

@: एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाले ऋण।
#: एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले ऋण।
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक; वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के राजकोषीय घाटे के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का अनुपात नीचे दर्शाया गया है:

वित्त वर्ष	**पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)**	**राजकोषीय घाटा (₹ करोड़ में)**	**पूंजीगत व्यय/राजकोषीय घाटा (%)**
	(क)	**(ख)**	**(क)/(ख)**
2021-22	592874	1584521	37.4
2022-23	740025	1737755	42.6
2023-24	949195	1654643	57.4
2024-25(अं.आं.)	1052007	1577270	66.7
2025-26 (ब.अ.)	1121090	1568936	71.5

स्रोत: केंद्रीय बजट और लेखा महानियंत्रक
पीए: अनंतिम आंकड़े
बीई: बजट अनुमान
**राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण ऋण से किया जाता है।*

(च): केंद्र सरकार पूंजीगत व्यय व्यापक रूप से दो माध्यमों से करती है, अर्थात केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और आस्ति सृजन के लिए राज्य सरकारों और अन्य अनुदान प्राप्तकर्ता निकायों को प्रदान किया गया सहायता अनुदान (जीआईए कैपेक्स)। कैपेक्स और जीआईए कैपेक्स दोनों को एक साथ लिया जाता है जिसे प्रभावी पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाता है। राजकोषीय घाटे (जिसे ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है) के सापेक्ष प्रभावी पूंजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2024-25 में 84 प्रतिशत था (अनंतिम आंकड़ों के अनुसार) और वर्ष 2025-26 में (बजट अनुमानों के अनुसार) 98.7 प्रतिशत होने का अनुमान है।

***